न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 56/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कासिम पुत्र मोती जाति मेव निवासी ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर ।
2. सूरज पुत्र गोपाल जाति माली निवासी बासबूरिया तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

.... अपीलांट/वादी

बनाम

1. खुर्शीद पुत्र खानमल जाति मेव,
2. अकबर पुत्र खुर्शीद जाति मेव,
3. मुनफद पुत्र सुप्पा जाति मेव,
4. शोकत पुत्र सुप्पा जाति मेव,
5. सपात पुत्र खानमल जाति मेव,
6. हुसैना पुत्र रहमान जाति मेव,
7. असमान पुत्र सरसमल जाति मेव,
8. जब्बर पुत्र खानमल जाति मेव,
9. मोहम्मद पुत्र रहमान जाति मेव,
10. रहीस पुत्र मोहम्मद जाति मेव,
11. लियाकत पुत्र मोहम्मद जाति मेव,
12. शोकीन पुत्र मोहंम्मद जाति मेव,
13. अख्तर पुत्र सपात खां जाति मेव,
14. फजरू पुत्र दीना जाति मेव,
15. फज्जर पुत्र नामालूम जाति मेव,
16. इलियास पुत्र हाकम जाति मेव,
17. रफीक पुत्र हाथी जाति मेव,
18. हनीफ पुत्र जब्बर जाति मेव,
19. हाकम पुत्र रहमान जाति मेव,
20. समेदीन पुत्र हाथी जाति मेव,
21. सरीफ पुत्र हाथी जाति मेव,
22. हयात पुत्र रहमान जाति मेव,

23. असरू पुत्र सरसरमल जाति मेव,
24. इकबाल पुत्र सरसमल जाति मेव,
25. जमशेद पुत्र सरसमल जाति मेव,
26. ताहीर पुत्र नामालूम जाति मेव,
27. अरफी पुत्र नामालूम जाति मेव,
28. मुबारक पुत्र हाकम जाति मेव निवासीयान ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.... असल रेस्पोडेन्टान/प्रतिवादी

29. महमुदी पुत्री बरकत पत्नि मंगला जाति मेव निवासी जोडिया का बास, बहादरपुर तहसील व जिला अलवर ।
30. हारूनी पुत्र बरकत पत्नि अरसद जाति मेव निवासी ग्राम चांदोली तहसील व जिला अलवर ।
31. सहरूनी पुत्री बरकत पत्नि जैकंम जाति मेव निवासी ग्राम चांदोली तहसील व जिला अलवर ।
32. रसीदन पुत्री बरकत जाति मेव पत्नि सदीक जाति मेव निवासी ग्राम चांदोली तहसील व जिला अलवर ।
33. अयूब पुत्र बरकत जाति मेव निवासी ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर ।
34. साहब खां पुत्र बरकत जाति मेव निवासी ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर ।
35. कोरी पत्नि बरकत जाति मेव निवासी ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर ।
36. हमीद पुत्र मोती जाति मेव,
37. सूका पुत्र मोती जाति मेव निवासीयान ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर राज0

.... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री चन्द्र मोहन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अजीत प्रकाश शर्मा अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–06.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आंर.टी.एक्ट तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 483 रकबा 66 ऐयर चाही द्वितीय वाके ग्राम घेघोली तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी सं0 1 व 2 का क्रमशः 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 29 व 30 का क्रमशः 1/4–1/4 हिस्सा है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई विवादित आराजी से सरोकार नहीं है । विवादित आराजी वादी

 6/7/18

सं0 1 व 2 की तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 29 व 30 की पैत्रिक आराजी है जिस पर वे शांतिपूर्वक तरीके से अरसे दराज से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण ताकतवर व लड़ाकू व्यक्ति है जिनके राजनैतिक संबंध है वे ताकत के बल पर वादीगण की आराजी को ज़बरन हड़पना चाहते हैं । प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर एवं नया रास्ता निकालना चाहते हैं । इसलिए उन्हें पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे नया रास्ता नहीं निकाले । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण न्याय आपके द्वार कैम्प में दि0 08.06.2017 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 08.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 आर.टी.एक्ट के साथ 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें विवादित आराजी ख0 नं0 483 रकबा 66 ऐयर वाके ग्राम घेघोली संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा है व तरतीबी रेस्पो0 का शेष 3/4 हिस्सा है । विवादित आराजी के अलावा उसकी खातेदारी के अन्य नम्बरान भी है जिनसे असल रेस्पो0 का कोई संबंध नहीं है परन्तु वे लड़ाकू व्यक्ति हैं जो अपीलांट की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने एक राय होकर विवादित आराजी पर नया रास्ता कायम करने का प्रयास किया जिसकी सूचना पुलिस थाना में की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने बावजूद सूचना अटल सेवा केन्द्र देसूला कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया परन्तु दि0 8.6.2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट के समक्ष रखते हुए अपीलांट/वादी की अनुपस्थिति में वाद को गुणावगुण पर वादी को सुने बगैर बिना विचारण के अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जो निर्णय विधि विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में वादी सं0 2 बरकत की उपस्थिति दर्शायी है जबकि वादी सं0 2 बरकत का निधन दि0 28.5.2016 को हो गया जिसके वारिसान कायमी मुकाम का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दि0 28.7.2016 को पेश कर दिया था । कैम्प कोर्ट में मृतक बरकत द्वारा विवादित आराजी में रास्ता होने का तथ्य स्वीकार करना असम्भव था, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में इस तथ्य को दर्ज कर निर्णय को प्रभावित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी की गैर मौजूदगी में तथाकथित मौका रिपोर्ट को मनमाने तौर पर निर्णय का आधार बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पो0 ने वादी द्वारा दायर राजस्व वाद के उपरान्त दीवानी वाद दायर किया है । इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार व राजस्व वाद के निपटाने की प्रक्रिया के अनुसार वाद प्रस्तुत होने के बाद पक्षकारों की दस्तावेजी साक्ष्य व लेखबद्ध की गई मौखिक साक्ष्य के बाद विचारण वाद का निर्णय किया जाना था परन्तु इसके अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की अवहेलनां कर गलत निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 ने कहा कि माननीय सिंविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 1 अलवर ने अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद के आदेश पारित

किये हैं जिसमें वादी सं0 2 बरकत ने भी स्वयं स्वीकार किया है कि प्रश्नगत विवादित आराजी ख0 नं0 483 रकबा 0.66 ऐयर में जो रास्ता जा रहा है वह सही है और अर्से दराज से वह रास्ता रहा है । तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट ली जिसमें भी आराजी ख0 नं0 479, 480, 481, 482 की तरफ दक्षिण में मेड़ से लगता हुआ ख0 नं0 483 के तरफ उत्तर की मेड़ से लगता हुआ लगभग 18 फीट चौड़ाई का रास्ता ग्रेवल (कच्चा पक्का) बना हुआ है । मौके पर उक्त रास्ता पुराना रास्ता है जो मौके पर चालू होना बताया है । साथ ही विवादित आराजी पर वादी / अपीलांट का कब्जा ही नहीं है । आर.टी.एक्ट की धारा 188 के अन्तर्गत पक्षकार का कोई मौके पर कब्जा होना चाहिए किन्तु प्रकरण में वादी का विवादित आराजी पर कब्जा होना नहीं माना है । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश उचित है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में मुख्य कथन है कि वादी के वाद का निस्तारण कैम्प कोर्ट में कर दिया जिसमें वादी को सुना ही नहीं गया । तहत न्यायालय की आदेशिका के अनुसार निर्णय कैम्प कोर्ट में दि0 08.06.2017 को किया गया है और वादी/अपीलांट को दिनांक 09.06.2018 को उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि वादी को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया है ।

द्वितीय अपीलाट की यह भी बहस है कि वादी सं0 2 बरकत पहले ही फौत हो गया और उसकी सहमति निर्णय में गलत दर्ज करायी है । अतः तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई का अवसर अपीलांट को दिया जाना न्यायसंगत है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्ते करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दि0 08.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक वादी सं0 2 के वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाकर सी.पी.सी. के विभिन्न प्रावधानों का पालन करते हुए पुनः उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर